हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए

13.01.2026

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता स्थगन प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के वकील ने अपनी बहस में कहा कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 4 की संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी के खेत मौजा राणासर, पटवार मण्डल–राणासर तह0 गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 2067, 2069 रकबा क्रमशः 55.05, 78.06 बीघा के आये हुऐ है। यह खातेदारी खेत प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 व 4 को विरासत में प्राप्त हुए है। उक्त खातेदारी खेत पुश्तैनी हैं जो वक्त सेटलमेन्ट में प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 4 के वालिद पिनल व इसा के नाम खातेदारी मे दर्ज हुऐ थे। उनके देहान्त होने पर विरासत नामान्तकरण में प्रार्थीगण का नाम विप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने जानबुझ कर दर्ज नहीं करवाया जबकि विवादित आराजी में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा व विप्रार्थी संख्या 1 से 4 1/2 हिस्सा बनता है। प्रार्थीगण के वालिद पिनल व इसा के फौत होने पर उनकी फौतगी पर जो नामान्तकरण खोला गया उसमें प्रार्थीगण का नाम दर्ज नहीं हुआ जबकि विप्रार्थी संख्या 1 से 4 के साथ उक्त नामान्तकरण खोलते समय प्रार्थीगण का नाम भी साथ में दर्ज होना चाहिए था। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 4 एक ही परिवार के सदस्य है विप्रार्थी संख्या 1 से 4 व प्रार्थीगण का विवादित आराजी में समान हक हिस्सा बनता है। विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को विवादित आराजी से बेदखल करने एवं विवादित आराजी को किसी अन्य अजनबी क्रेताओं को बैचान करने की धमकिया दी गई तब प्रार्थीगण को अपने हक हकूक संयशप्रद लगे। यदि विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को उसके कब्जे काश्त व हक हिस्से की भूमि से बेदखल कर दिया या विवादित आराजी का बैचान/हस्तान्तरण अजनबी क्रेताओं को कर दिया तो प्रार्थीगण को अपूर्णिय क्षति होगी।

इसके विपरित विप्रार्थी संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता श्री भोपालसिंह भाटी ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को [illegible] कथन किया कि प्रार्थी ने वाद कानूनी प्रकिया के विपरित एवं मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर पेश किया है। जो प्रथम दृष्टया काबिल खारिज है। खेत खसरा नम्बर 2067 रकबा 50.05 बीघा व खसरा नम्बर 2069 रकबा 78.06 बीघा का है। वक्त सेटलमेन्ट से आज दिन तक विप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पूर्वजो का रेकर्ड में नाम दर्ज है तथा कब्जा काश्त भी विप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 16:37:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
गडरारोड़

का है। वादग्रस्त आराजी में वक्त सेटलमेन्ट से आज दिन तक विप्रार्थी संख्या 1 से 4 के दादा जीमा वल्द मुबीन का रेकर्ड में खसरा नम्बर 2067 रकबा 50.05 बीघा पूरा नाम दर्ज है और जीमा वल्द मुबीन की खुद काश्त है। उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा कब्जा नहीं है। वक्त सेटलमेन्ट से लेकर आज दिन तक गिरदावरी में भी हम विप्रार्थीगण के नाम से है। इसलिए सुविधा का संतुलन भी हम विप्रार्थीगण के पक्ष में होने से विप्रार्थीगण के विरूद्व पेश अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाई जावें।

1. **प्रथम दृष्टया मामला :–** प्रार्थीगण विवादग्रस्त आराजी में वक्त सेटलमेन्ट से ही रेकर्ड में नाम दर्ज नही होने से प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रथम दृष्टया मामला साबित नही होता है।

2. **सुविधा का संतुलन :–** विवादित आराजी के वक्त सेटलमेन्ट में रेकर्डेड खातेदार केवल विप्रार्थीगण ही होने से तथा मौके पर कब्जा काश्त विप्रार्थीगण का ही होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नही होना पाया जाता है।

3. **अपूर्णीय क्षति :–** कि प्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार नही होने से तथा मौके पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त प्रार्थीगण का नही से अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष मे सिद्ध नही होना पाया जाता है।

हमने उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पक्ष एवं विप्रार्थीगण के विरूद्व जारी दि. 12.10.2020 को एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी थी। जिसे आगे बढाया जाना उचित प्रतित नही होने से प्रार्थीगण के पक्ष में जारी एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 12.10.2020 को निरस्त किया जाता है।

Signature Not Verified

आदेश आज दिनांक 13.01.2026 को सरे [illegible] सुनाया गया।

Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 16:37:18 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से [illegible] हो।

सहायक कलक्टर
[illegible]